उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 118 /उ0ना0उ0वि0प्रा0/2018–19 दिनांक 12 मई 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत बने हैलीपैडस/हवाई पट्टी पर हैलीकॉप्टर्स/वायुयान के लैण्डिंग एवं पार्किंग के रूप में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 977/उ0ना0उ0वि0प्रा0/2015–16 दिनांक 23 जनवरी, 2016 को अतिक्रमित करते हुये दिनांक 14.05.2018 से निम्न दरें प्रभावी होंगी।

1– सहस्त्रधारा स्थित हैलीड्रोम पर प्रतिदिन एक हेलीकॉप्टर द्वारा किये जाने वाले समस्त लैण्डिंग के लिये एकमुश्त रू0 10000/– जी0एस0टी0 अतिरिक्त।

2– हैलीकॉप्टर के प्रतिदिन रात्रि में खुले में पार्किंग करने पर रू0 2000/– जी0एस0टी0 अतिरिक्त प्रति रात्रि लैंण्डिग के अतिरिक्त।

3– हैलीकॉप्टर को हैंगर के अंदर सिर्फ खडा करने पर रू0 5000/– जी0एस0टी0 अतिरिक्त प्रतिदिन, फिर रात्रि पार्किंग उस दिन का चार्ज नहीं किया जायेगा।

4– हैंगर को हैलीकॉप्टर के सर्विसिंग हेतु उपयोग करने पर प्रतिदिन रू0 15000/– जी0एस0टी0 अतिरिक्त।

5– हर्षिल/बद्रीनाथ जी/खरशाली/बडकोट के हैलीपैड पर प्रति लैण्डिग चार्जेज के रूप में रू0 5000/– जी0एस0टी0 अतिरिक्त।

6– नैनी–सैनी (पिथौरागढ़)/गौचर (चमोली)/ चिन्यालीसौढ़ (उत्तरकाशी) हवाई पट्टी पर वायुयान (फिक्सड विंग) के प्रति लैण्डिग के रूप में रू0 5000/– तथा हेलीकॉप्टर के लैण्डिग के रूप में रू0 2500/– जी0एस0टी0 अतिरिक्त।

7– उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 में उल्लेखित स्थानों के इतर प्रदेश के अन्य स्थानों पर स्थित किसी भी हेलीपैड पर लैण्डिग के रूप में रू0 2500/– जी0एस0टी0 अतिरिक्त प्रति लैण्डिग।

8– सहस्त्रधारा हैलीड्रोम पर स्थित कमरे का उपयोग करने पर रू0 2500/– जी0एस0टी0 अतिरिक्त प्रति दिन देय होगा।

9– चार्टर हेलीकॉप्टर/वायुयान को राज्य में स्थित सहस्त्रधारा, हरिद्वार एवं अन्य हेलीपैड एवं हवाई पट्टीयों पर लैण्डिग की अनुमति प्राप्त करने हेतु रू0 25000/– एवं अनुमन्य जी0एस0टी0 प्रति सेक्टर फ्लाईट अग्रिम रॉयल्टी के रूप में जमा किया जाना होगा। इसके साथ साथ लैण्डिग शुल्क भी अनुमन्य होगा।

नोटः– यूकाडा द्वारा लैण्डिग/पार्किंग अनुमति पत्र जारी करने हेतु आवेदक को अपने अनुरोध पत्र के साथ अनुमन्य शुल्क यूकाडा के प्रचलित खाते में जमा कर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना होगा। चार्टेड सेवाओं हेतु प्रत्येक यात्रा की पूर्व अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी।

यूकाडा द्वारा जो सेवायें चार्टेड के रूप में ली जायेंगी, उनके लिये प्राईवेट ऑपरेटर्स द्वारा लैण्डिग/पार्किंग/ रॉयल्टी शुल्क वसूल नहीं किये जायेंगे।

आज्ञा से

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा।
2– वित्त नियंत्रक।
3– हैड ऑफ आपरेशनस/ऑपरेशन अनुभाग।
4– इंजीनियर इन चीफ।
5– समस्त प्राईवेट ऑपरेटर्स।
6– लेखा प्रभाग।
7– गार्ड फाईल।